हम कोवीड-19 के प्रसार के साथ घरेलू हिंसा का प्रसार नहीं होने दे सकते

17.04.20 ख़बर (हिंदी अन्नुवाद)

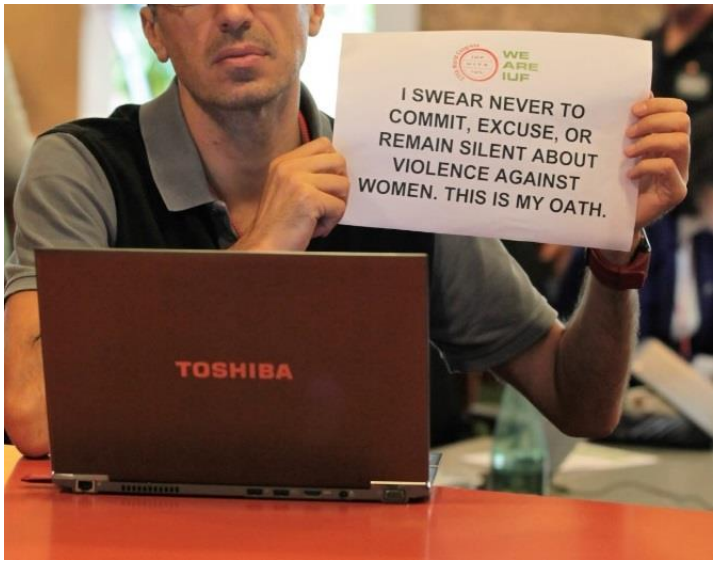

पिछले 12 महीनों के दौरान दुनिया में हर पांच में से एक महिला अपने साथी द्वारा भड़काई गई हिंसा का शिकार हुई है। कोवीड-19 महामारी का स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव स्थिति को बदतर बना रहा है। कुछ ही हफ्तों में, कई देशों ने घरेलू हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसमें फ्रांस, ट्यूनीशिया, अर्जेंटीना और सिंगापुर शामिल हैं।

फोटो का हिंदी अन्नुवाद: मैं प्रण लेता हूँ कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा ना तो स्वयं कभी करुंगा, ना बहने बनाऊंगा या ना इस बारे मे चुप बैठूंगा। यह मेरी शपथ है।

इस घटना की प्रतिक्रिया उतनी ही जरूरी है जितनी कि महामारी को रोकने के लिए अपनाई गई नीतियां। सरकारों को एक व्यापक चेतावनी और सुरक्षा प्रणाली को लागू करने या मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए जिससे यह संकेत मिले कि इस अपराध के लिए बिल्कुल सहिष्णुता नही होगी और ना ही दण्ड से मुक्ति मिलेगी। कई देश इस तरह की पहल कर चुके हैं।

मज़दूर संगठ्न नौकरिया बचाने और जो सदस्य अभी भी काम करने जा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा भी हिंसा और उत्पीड़न का प्रत्युत्तर करने पर निर्भर करती है जिस्मे यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा भी श्यामिल है जो आइ.एल.ओ कन्वेंशन 190 (C190) और सिफारिश 206 (R206) में रेखांकित किया गया है और जो पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। एक लंबे समय से आइ.यू.एफ संबद्धो ने अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा और समानता नीतियों में घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को शामिल किया है। हाल ही में हुइ आइ.यू.एफ कांग्रेस के एक सम्मोहक क्षण में पुरुष प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा लि कि वे कभी भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा ना तो स्वयं कभी करेंगे, ना बहने बनाएंगे या ना इस बारे मे चुप बैठेंगे। (फोटो देखे)

घरेलू हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारो पर दबाने में और C190 के अनुसमर्थन के लिए अभियान चलाने में संगठनो की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा कई महिला श्रमिक

जिन्हें घर भेजा गया है वे अभी भी अपने संगठन के प्रतिनिधियों या सहयोगियों के संपर्क में हैं। यूनियनों ने कई अन्य पहलों को भी आगे बढ़ाया है, उदाहरण के तौर पर, सदस्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए रेहने के विवरण की जानकारी देना, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए संपर्क नंबर देना, खाद्य सहायता के वितरकों की जानकारी, कानूनी स्थिति पर अपडेट और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं का समर्थन करने के तरीकों के बारे में जानकारी देना। अंत में, जैसा कि C190 और R206 में दिया गया है की काम की दुनिया में घरेलू हिंसा के प्रभाव की प्रतिक्रिया को सामूहिक सौदेबाजी के कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए। कामरेड, सहकर्मी, नियोक्ता; हम सभी को भूमिका निभानी है।